

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१८

### मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु  
विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अधिनियम, २०१८ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १९७० ( क्रमांक २६ सन् १९७० ) धारा ३ का संशोधन.  
( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ३ में, परन्तुक में,—

( एक ) खण्ड ( क ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“( क ) जो,—

( एक ) किसी विकास योजना क्षेत्र;

( दो ) किसी स्थानीय निकाय की बाहरी परिधि पर स्थित किसी स्थानीय निकाय या ग्राम;

( तीन ) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना )  
अधिनियम, १९८४ ( क्रमांक १५ सन् १९८४ ) के प्रवर्तन के क्षेत्र; और

( चार ) नेशनल हाइवेज एक्ट, १९५६ ( १९५६ का ४७ ) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन  
घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ ( क्रमांक ११  
सन् २००५ ) की धारा ३ के अधीन अधिसूचित राजमार्ग के दोनों ओर पांच सौ मीटर,

में स्थित हो;”;

( दो ) खण्ड ( ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

( क ) “विकास योजना” का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,  
१९७३ ( क्रमांक २३ सन् १९७३ ) में इसके लिए समनुदेशित है;

( ख ) “स्थानीय निकाय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ ( क्रमांक  
२३ सन् १९५६ ) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका  
अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या कोई  
नगरपालिक परिषद्.”

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( ३ ) में, शब्द “दखलरहित भूमि” के स्थान पर, शब्द “ ६० वर्ग  
मीटर तक की दखलरहित भूमि ” स्थापित किए जाएं. धारा ४ का संशोधन.

४. ( १ ) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अध्यादेश, २०१८ ( क्रमांक  
८ सन् २०१८ ) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा  
व्यावृत्ति.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई  
कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) ग्रामों के निवासियों का दखलरहित भूमि के आवंटन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था. उक्त अधिनियम के उद्देश्य को विस्तारित करने के लिए यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ८ सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :  
दिनांक १९ जून, २०१८

उमाशंकर गुप्ता  
भारसाधक सदस्य.

## अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० ग्रामों के निवासियों का दखलरहित भूमि के आवंटन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था. उक्त अधिनियम के उद्देश्य को विस्तारित करने के लिए यथोचित संशोधन आवश्यक था, चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था और संशोधन किया जाना आवश्यक था. इसलिये मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, २०१८ इस प्रयोजन से प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## उपाबंध

### मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपाबंध ) अधिनियम, १९७० ( क्रमांक २६ सन् १९७० ) से उद्धरण

\* \* \* \* \*

धारा ३ — किसी ग्राम में की समस्त दखल-रहित भूमियां, जिन पर ऐसे ग्राम के निवासियों ने ३१ दिसम्बर, २०१४ के पूर्व निवास के प्रयोजन के लिए या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किसी भवन का परिनिर्माण कर लिया हो और ऐसा भवन उस तारीख को विद्यमान हो, कोड या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे निवासियों को भूमिस्वामी अधिकारों में आवंटित की जाएगी तथा उक्त भूमियों का, कोड या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उन निवासियों के साथ बंदोबस्त भूमिस्वामी अधिकारों में किया जाएगा:

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी दखलरहित भूमि को लागू नहीं होगी—

(क) जो,—

- (एक) मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) द्वारा या उसके अधीन घोषित की गई नगरपालिका निगम की सीमाओं से सोलह किलोमीटर;
  - (दो) मध्यप्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) द्वारा या उसके अधीन घोषित की गई नगरपालिका की सीमाओं से आठ किलोमीटर;
  - (तीन) ऊपर (एक) तथा (दो) में विनिर्दिष्ट की गई नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से भिन्न सीमाओं से तीन किलोमीटर;
  - (चार) नेशनल हाईवेज एक्ट, १९५६ (क्र. ४७ सन् १९५६) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश हाईवेज एक्ट, १९३६ (क्रमांक ३४ सन् १९३६) की धारा २ के अधीन अधिसूचित लोकमार्ग के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर हो;
- (ख) जो संहिता (कोड) की धारा २३७ के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई हो:—
- (एक) कब्रस्तान या शमशान के लिए;
  - (दो) गोठान के लिए;
  - (तीन) खलियान के लिए;
  - (चार) खाल निकालने के स्थान के लिए;
  - (पाँच) बाजार के लिए;
  - (छह) सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों तथा नालियों के लिए;
- (ग) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए धारित की गई हो या आरक्षित रखी गई हो.

धारा ४, (१) किसी ग्राम का प्रत्येक निवासी,

जिसे धारा ३ लागू होती हो, तहसीलदार को ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा.

- (२) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन में वर्णित दखलरहित भूमि के संबंध में संहिता (कोड) की धारा २४८ के अधीन लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, ऐसे समय तक के लिए रोकी जा सकेगी जिसे कि तहसीलदार उचित समझे.
- (३) इस अधिनियम के उपबंधों तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, तहसीलदार दखलरहित भूमि का किसी ग्राम के निवासी को आवंटन करेगा तथा उस भूमि का उस निवासी के साथ बंदोबस्त करेगा.

\* \* \* \* \*

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.